भारत सरकार
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग
संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली-1

सं0842-725/2005 वीएएस (खंड-III) दिनांक : 12.1.2010

सेवा में,

सभी एकीकृत सेवा लाइसेंसधारक
सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारक
सभी बुनियादी सेवा लाइसेंसधारक

विषयः दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 के संशोधन संख्या 842-725/2005 वीएएस (खंड-III) के संबंध में स्पष्टीकरण।

उपस्कर का प्रापण करने पूर्व सरकार से सुरक्षा निकासी प्राप्त करने के लिए एकीकृत अभिगम सेवा लाइसेंस/सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंस/बुनियादी टेलीफोन सेवा लाइसेंस करारों में संशोधन करने के संबंध में भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएएनएल) और महानगर टेलीफोन निगम(एमटीएनएल) सहित सभी एकीकृत सेवा लाइसेंसधारकों, सभी सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा लाइसेंसधारकों को जारी किए गए दिनांक 3 दिसम्बर, 2009 के पत्र सं0 842-725/2005 वीएएस (खंड-III) के क्रम में।

इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संशोधन लाइसेंसधारकों द्वारा 3 दिसम्बर, 2009 और उसके उपरांत जारी किए जाने वाले क्रय आदेशों पर लागू है, किन्तु उन उपस्कर/मदों के लिए लागू नहीं है जिनके लिए लाइसेंसधारक कंपनी द्वारा यह संशोधन जारी होने से पूर्व क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं।

15/1/2010

(शशि मोहन)
निदेशक (एएस-I)

प्रतिः

1. सचिव, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली।
2. बेतार सलाहकार, डब्ल्यूपीसी स्कंध, नई दिल्ली।
3. वरि0 उप महानिदेशक (डब्ल्यूपीएफ) दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
4. उप महानिदेशक (सुरक्षा)/उप महानिदेशक(एएस-I) / उप महानिदेशक (एलएफ) / उप महानिदेशक (सीएस)/ उप महानिदेशक (डीएस), दूरसंचार विभाग, नई दिल्ली।
5. उप महानिदेशक (सी एवं ए) दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
6. संबंधित लाइसेंस करार फाइलें